

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट-IV

जयपुर दिनांक 12.4.18

आदेश


विषय:- राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 में संशोधन बाबत।

पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में पर्यटन इकाईयों यथा मोटल, रिसोर्ट आदि को नगरीय विकास विभाग के आदेश के तहत समर्पित किये जाने वाले 5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर सुविधा क्षेत्र समर्पित किये जाने से छूट दी जावे के प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त सक्षम स्तर से किये गये निर्णय के क्रम में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन इकाईयों यथा रिसोर्ट, होटल व मोटल प्रयोजन के लिए निम्न प्रावधान किया जाता है:-

1. रिसोर्ट हेतु प्रस्तावित एकल पट्टों के प्रकरण में सुविधा क्षेत्र हेतु समर्पित की जाने वाली 5 प्रतिशत भूमि की एवज में उस क्षेत्र की कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर से राशि वसूल की जावे।
2. होटल तथा मोटल प्रयोजनार्थ प्रस्तावित एकल पट्टों के प्रकरण में सुविधा क्षेत्र हेतु समर्पित की जाने वाली 5 प्रतिशत भूमि की एवज में उस क्षेत्र की आवासीय आरक्षित दर से राशि वसूल की जावे।


यह आदेश पूर्व के प्रकरणों पर लागू नहीं होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(राजेंद्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
3. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-प्रथम